

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक १५४ नि.स./स. लो.स्वा. एवं परि. क.वि./2019
प्रति,

अटल नगर, रायपुर दिनांक २७/०३/२०१९

1. संचालक
स्वास्थ्य एवं सेवाएं
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
3. संचालक.
आयुष, पुराना नर्सेस हॉस्टल,
डी.के.एस. भवन, रायपुर।
5. आयुक्त
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।

2. संचालक
चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सेस
हॉस्टल, डी.के.एस. भवन, रायपुर
प्रबंध संचालक, सी.जी.एम.एस.सी.
न्यू रायपुर नगर, गोविंद सारंग
परिसर, तीसरा मंजिल, रायपुर।

विषय:- दवा वितरण प्रणाली में स्टॉक मैनेजमेंट एवं स्थानीय क्य के ऑनलाईन प्रविष्टि के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषय में राज्य में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए दवाओं के स्टोर मैनेज करने हेतु Drug Procurement & Distribution MIS बनाया गया है। जिसमें सभी संस्थाओं को दवाओं का मांग पत्र प्राप्ति, वितरण, संस्थाओं के मध्य दवाओं (Excess/Shortage) का ट्रांसफर को ऑनलाईन पोर्टल में प्रतिदिन दर्ज करना अनिवार्य है।

आवश्यक दवाईयों/कन्सुमेबल के स्थानीय क्य को व्यवस्थित करने के संबंध में पूर्व में आदेश जारी किया गया है। अतः उक्त आदेश का पालन करते हुए स्थानीय क्य से संबंधित सभी कार्य को भी इसी पोर्टल में दर्ज करना अनिवार्य होगा, जो निम्नानुसार है—

1. पोर्टल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना (EDL दवाओं हेतु)
2. EDL तथा Non EDL दवाईयों हेतु स्थानीय क्य आदेश आवश्यक रूप से DPDMIS से Generate किया जावेगा।
3. दवाईयों/कन्सुमेबल क्य के उपरांत प्राप्ति प्रमाण पत्र DPDMIS से प्रिंट कर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर किया जावेगा।
4. अनुमोदित प्रमाण पत्र (MRC) के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही किया जावेगा।

DPDMIS से बाहर कोई भी क्य वैधानिक नहीं माना जावेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन करने पर वित्तीय अनियमितता मानी जावेगी।

उपरोक्त कार्यों के संपादन हेतु सभी आवश्यक प्रशिक्षण विभिन्न चरणों में दिया जा चुका है तथा मेनुअल वेबराईट में उपलब्ध है।

उपरोक्त सभी कार्यों का जिला तथा राज्य स्तर पर समीक्षा किया जावे तथा स्वास्थ्य संस्थाओं का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

SE (Constit.)

GM (Ph.)

DM (Adm/HR)

DM (P/O)

SM (IT)

DSR (S)

M.D. COMBO

01 APR 2019

(निहारिका वारिक रिंग)

संचिव

छत्तीसगढ़ शासन २७/०३/१९

क्रमांक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

